

## खोया-पाया दिशा-निर्देश

- प्रतिबंधित वस्तुएँ: खतरनाक या सुरक्षा-प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रबंधन हवाई अड्डा द्वारा नहीं किया जाता, इन्हें बी.सी.ए.एस. नियमों के अनुसार सी.आई.एस.एफ. द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- सुरक्षा प्रक्रिया: हवाई अड्डा सुरक्षा नियमों के तहत, मिली हुई सभी वस्तुओं को खोया-पाया कार्यालय में जमा करने से पहले सी.आई.एस.एफ. द्वारा जाँच की जाती है।
- सीमित उत्तरदायित्व: वस्तुओं के रखरखाव या संभालने के दौरान होने वाले घिसाव, नुकसान या खराब होने की स्थिति में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तरदायी नहीं होगा। खोई हुई वस्तुओं के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- सत्यापन अनिर्वाय: वस्तुओं का हस्तांतरण केवल सही स्वामित्व सत्यापन और आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किया जाएगा।
- दावा प्रक्रिया अनुपालन: यदि निर्धारित प्रक्रिया और दस्तावेज पूरे नहीं होते, तो खोया-पाया टीम दावा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- संग्रहण नीति: वस्तुओं को हवाई अड्डा नीति के अनुसार केवल निर्धारित अवधि तक ही सुरक्षित रखा जाएगा।
- बिना दावे वाली वस्तुएँ का निपटान: समय सीमा के भीतर दावा न किए जाने पर वस्तुओं का निपटान संबंधित नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- हवाई अड्डा परिसर में खोई हुई कोई भी वस्तु (विमान के अंदर खोई वस्तुओं या एयरलाइन की संपत्ति को छोड़कर) सी.आई.एस.एफ. द्वारा एकत्र कर खोया-पाया कार्यालय को सौंपी जाएगी।